

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 487] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13, 1976/कार्तिक 22, 1898

No. 487] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13, 1976/KARTIKA 22 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 13th November 1976

S.O. 730(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in any of the establishments connected with mining of magnesite and associated refractories and other factories in the District of Salem in the State of Tamil Nadu would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strike in the said establishments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits any strike in connection with any industrial dispute in the said establishments for a period of six months with immediate effect.

[No. F. S.42011/9/76-DIA]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय**आदेश**

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1976

का० आ० 730 (अ).—केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है

और यतः मैगनेसाइट खान उद्योग और संलग्न रिफ्रेक्टरी और फ्रेक्टरी, जिला सेलम, तमिल-नाडु राज्य में किसी प्रतिष्ठान में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, उक्त सेवाओं में हड़तालें रोकना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रतिष्ठानों में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल को तत्काल प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है।

[सं० एफ़ एस/42011/9/76-डी आई ए]

डी० बन्धोपाध्याय, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976